बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भ0/03/स्था0-(विविध)-16/2016................/ पटना, दिनांक........................./

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका 3(3)(ख) के अन्तर्गत गठित सामान्य प्रशासन विभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-8274 दिनांक 07.07.2017) के आलोक में संदर्भित संकल्प में निहित प्रावधानों एवं शर्त्तो के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक पद से सेवा निवृत सहायक को सचिवालय सेवा के सहायक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर निम्नलिखित सेवा निवृत सहायकों को आदेश निर्गत होने के उपरान्त उनके योगदान करने की तिथि से अगले 01 (एक वर्ष) तक के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना में इस शर्त के साथ नियोजित किया जाता है कि सहायक के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति (यथा सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के पश्चात् सहायकों के पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित इन सहायको की सेवा स्वत: समाप्त हो जायगी।

क्रम सं0	सेवानिवृत सहायकों के नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महानन्द रजक	11.02.1954	28.02.2014	
2	श्री वीरेन्द्र कुमार	01.11.955	31.10.2015	
3	श्री सुधाकर मिश्र	31.01.1955	31.01.2015	
4	श्री सुरेश शर्मा	19.12.1953	31.12.2013	
5	श्री वासुकी नाथ मिश्र	03.11.1955	30.11.2015	
6	श्री विशेश्वर सिंह	02.09.1954	30.09.2014	
7	श्री विजय कुमार सिंह	09.01.1955	31.01.2015	
8	श्री शिव कुमार प्रसाद	11.01.1955	31.01.2015	
9	श्री नसीब लाल	11.05.1954	31.05.2014	
10	श्री जगत नारायण मिश्र	12.04.1955	30.04.2015	

(2) उपर्युक्त नियोजन अस्थायी है। जिन रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन किया जा रहा है उनपर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारम्भ है। नियमित नियुक्ति होने के पश्चात् यदि भवन निर्माण विभाग में पद रिक्त नहीं रह जाती है, तो संविदा नियोजित उपर्युक्त सहायकों की सेवा स्वत: समाप्त हो जायगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका 2 क (vi) के अनुसार नियोजित सहायकों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

क्र0पृ0उ0

(4) उपर्युक्त सेवा निवृत सहायकों का नियोजन उनके द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के शर्त पर किया जा रहा है। अतएव उन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा शारीरिक सक्षमता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। तदोपरान्त विभाग में एकरारनामा के साथ नियोजित किया जायगा। नियोजित सेवा निवृत सहायक को मासिक मानदेय अन्तिम वेतन माईनस पेंशन के आधार पर किया जायगा। मानदेय के भुगतान के पूर्व नियोजित कर्मी से उनके अन्तिम भुगतेय पेंशन की राशि की जानकारी पी0पी0ओ0 से की जायगी।

ह0/-

(जनक राम)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-8274 दिनांक 07.07.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव कोषांग/सभी अपर सचिव कोषांग/सभी उप सचिव कोषांग/सरकार के अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रतियों) में एवं संबंधित संविदा सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 7458 (7) पटना, दिनांक:- 23/8/17

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.8.17

सरकार के उप सचिव।